(192)

(50) 52

न्यायालय श्री मान् ~~(अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा) म० प्र०~~ समक्ष राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर

१-बंशपती प्रसाद पटेल तनय स्व० रामविशाल पटेल ,
२-प्रभुनाथ प्रसाद तनय स्व० बशिष्ठ प्रसाद पटेल ,
३-हीरालाल पटेल तनय बशिष्ठ प्रसाद पटेल,
४-हरिनाथ तनय श्री बशिष्ठ प्रसाद पटेल,
५-यशोदा तनय बशिष्ठ प्रसाद पटेल,

सभी पेशा खेती, निवासी ग्राम ढनगन, थाना लौर तहसील मऊगंज जिला रीवा म० प्र० ---आवेदकगण

R-1276-II/12

बनाम

१-तीरथ प्रसाद तनय स्व० हरप्रसाद पटेल निवासी ग्राम जुर्मई, हाल निवासी ग्राम ढनगन, थाना लौर तहसील मऊगंज जिला रीवा मध्य प्रदेश ---------------------------------- अनावेदक

अधिवक्ता श्री शिवदास द्वारा प्रस्तुत। दिनांक 24.4.2012
24.4.12

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर दिनांक १३-६-११ जरिए निगरानी प्रकरण क्रमांक ६४अ६। १०-११ बाबत नामान्तरण आराजियात स्थित ग्राम ढनगन, तहसील मऊगंज , निगरानी अन्तर्गत धारा ५०। म० प० भू०रा० संहिता व० १९५९ ।

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

(१)- यह कि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ कानून, प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है ।

(२)- यह कि अदालत मातहत ने इस कानूनी एवं वाक्याती बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि निगरानी के सीगे में कानूनी बिन्दुओं पर बिचार किए जाने का प्रावधान है । किन्तु आवेदकगण की ओर से

(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1276/II/12 देशपति / तीर्थप्रसाद (रीवा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 21/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, रीवा के प्रकरण क्रमांक 64/अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 13/9/11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	